



नंबर 2362 / 2016

न्यायालय - श्रीमान मोहन राजस्व मण्डल गवालियर के म्म भोपाल

प्र० ५० १/२०१६ निवासनी

निंग - २३६२-२-१६

(125)

श्री एस राम शर्मा
अधिकारी छात्र आज्ञा दिव्यांक
४/२१/१६ को शुक्रवार

१. श्रीमद्भाई पति नंगाराम लोधी
२. श्रीमद्भिहारी पुत्र हरप्रसाद लोधी
३. अनवर था पुत्र नन्दलाल मुलमान
४. नौसे था पुत्र नन्द था मुलमान
५. चांद मिया पुत्र छन था मुलमान
६. शंकीना बी पुत्री नन्द था मुलमान
७. स्कमणीबाई पति हीरालाल लोधी
८. सीताराम पुत्र गनेशराम लोधी
९. सभी निवासी गण ग्राम बंजरिया तहसील
गयारसपुर जिला विद्वान् ५०५०५०
..... रिट्पाइटिंग

निगरानी धारा अंशस्त्र 50 मोहन भूरा १९५९

माननीय महोदय,

सेवा में श्री निगरानी अधिनियम न्यायालय तहसीलदार महोदय
गयारसपुर के राजस्व प्र० ५०१८ अ-६४३/२०१४-१५ में पारित जादें दिनांक
२४.६.१६ से अंदर स्थान पेश की जा रही है।

// निगरानी के तथ्य //

यहकि वाद गृह्ण षुमि स्थित बंजरिया तहसील गयारसपुर
जिला विद्वान् के सर्वे क्र. 23 रकवा 3.783 हेठा सर्वे क्र. 24 रकवा 0.094 हेठा
सर्वे क्र. 25/1 रकवा 0.732 हेठा, सर्वे क्र. 26 रकवा 0.408 हेठा, सर्वे क्र. 27

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2362-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री के.एस. राजपूत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	 प्रशासकीय सदस्य